

उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1
संख्या- 10 /2018/ 576 /सत्ताईस-1-2018-39/2017
लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2018

विलम्बित/प्रोन्नति

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0 सिविल संवर्ग के निम्नलिखित मुख्य अभियन्ता स्तर-2 को मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (वेतनमान रू0 37,400-67,000 ग्रेड पे रू0 10,000, पे मॉड्रेक्स लेवल-14) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	अभियन्ता का नाम (सर्वश्री)
1.	सुरेश चन्द्र शर्मा
2.	विनोद कुमार त्रिपाठी

2- उक्त अभियन्ताओं की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

टी० वेंकटेश
प्रमुख सचिव।

संख्या: 10 /2018/ 576 (1)/सत्ताईस-1-2018-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, 30प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0 इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
3. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता परिकल्प एवं नियोजन/प्रमुख अभियन्ता, परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, 30प्र0, लखनऊ।
8. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
9. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सम्स्त अनुभाग।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(ओ०पी० सिंह)
अनु सचिव।

मुख्य अभियन्ता

✓ 6

P10